न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 206/2011 (उदयपुर डिक्री)

1. भमरिया पिता रामा जी गुर्जर (मृतक) के बजाय :–

1/1. मथुरालाल पिता भमरिया जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. मु. दोली बेवा भमरिया जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती नानीबाई (पिता भमरिया जी) पत्नी नारूलाल जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती रम्भाबाई (पिता भमरिया जी) पत्नी हरलाल जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. वेणा पिता रामा जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. उदा पिता रामा जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लालू पिता गणेज जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. भमरू पिता परथा जी गुर्जर (मृतक) के बजाय :–

2/1. गालू पिता भमरू जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. मु. भागुबाई बेवा भमरूजी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. श्रीमती सुन्दर (पिता भमरू जी) पत्नी नारायण जी गुर्जर, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. श्रीमती पुष्पा (पिता भमरू जी) पत्नी मोहन जी गुर्जर, निवासी गादोली तलाई, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. रूपा पिता परथा जी गुर्जर (मृतक) के बजाय :–

3/1. मु. देऊ बेवा रूपा जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. हजारी पिता रूपा जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. राधेश्याम पिता रूपा जी गुर्जर, नाबालिग बविलायात माता मु. देऊ बेवा रूपा जी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

3/4. श्रीमती मंजू (पिता रूपाजी) पत्नी हीरालालजी गुर्जर, निवासी गोलवाडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. शखा पिता परथा जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. धूला पिता भेरा जी डांगी, निवासी तारावट, हाल नारायणपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. पेमा पिता देवा जी गाडरी (मृतक) के बजाय :–

6/1. मु. भवरी बेवा पेमा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. रमेश पिता पेमा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/3. कन्हैयालाल पिता पेमाजी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/4. सुश्री हगामी पिता पेमा जी, नाबालिग बविलायत माता मु. भवरी बेवा पेमा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

6/5. श्रीमती चम्पा (पिता पेमा जी) पत्नी दौला जी गाडरी, निवासी धारता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

6/6. श्रीमती प्रति (पिता पेमा जी गाडरी) पत्नी गंगाराम जी गाडरी, निवासी पुरियाखेडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/7. श्रीमती हमेरी (पिता पेमा जी) पत्नी वेणा जी गाडरी, निवासी नेतावला, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/8. श्रीमती डाली (पिता पेमाजी) पत्नी लच्छाजी गाडरी, निवासी उदाखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

7. भीमा पिता वीरभान जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

8. मु. भग्गी बेवा वीरभानजी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

9. हमेरा पिता परथा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
प्रारम्भिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी,
मावली दिनांक 03.12.2005, प्रकरण
संख्या 90/2004

———/———

(2) प्रकरण संख्या 204/2011 (उदयपुर डिक्री)

1. भमरिया पिता रामा जी गुर्जर (मृतक) के बजाय :–

1/1. मथुरालाल पिता भमरिया जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. मु. दोली बेवा भमरिया जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती नानीबाई (पिता भमरिया जी) पत्नी नारूलाल जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती रम्भाबाई (पिता भमरिया जी) पत्नी हरलाल जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. वेणा पिता रामा जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. उदा पिता रामा जी गुर्जर, निवासी नादियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लालू पिता गणेज जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. भमरू पिता परथा जी गुर्जर (मृतक) के बजाय :–

2/1. गालू पिता भमरू जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. मु. भागुबाई बेवा भमरूजी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. श्रीमती सुन्दर (पिता भमरू जी) पत्नी नारायण जी गुर्जर, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. श्रीमती पुष्पा (पिता भमरू जी) पत्नी मोहन जी गुर्जर, निवासी गादोली तलाई, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. रूपा पिता परथा जी गुर्जर (मृतक) के बजाय :–

3/1. मु. देऊ बेवा रूपा जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. हजारी पिता रूपा जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. राधेश्याम पिता रूपा जी गुर्जर, नाबालिग बविलायात माता मु. देऊ बेवा रूपा जी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

3/4. श्रीमती मंजू (पिता रूपाजी) पत्नी हीरालालजी गुर्जर, निवासी गोलवाडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. शखा पिता परथा जी गुर्जर, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. धूला पिता भेरा जी डांगी, निवासी तारावट, हाल नारायणपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. पेमा पिता देवा जी गाडरी (मृतक) के बजाय :–

6/1. मु. भवरी बेवा पेमा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. रमेश पिता पेमा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/3. कन्हैयालाल पिता पेमाजी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/4. सुश्री हगामी पिता पेमा जी, नाबालिग बविलायत माता मु. भवरी बेवा पेमा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

6/5. श्रीमती चम्पा (पिता पेमा जी) पत्नी दौला जी गाडरी, निवासी धारता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

6/6. श्रीमती प्रति (पिता पेमा जी गाडरी) पत्नी गंगाराम जी गाडरी, निवासी पुरियाखेडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/7. श्रीमती हमेरी (पिता पेमा जी) पत्नी वेणा जी गाडरी, निवासी नेतावला, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6/8. श्रीमती डाली (पिता पेमाजी) पत्नी लच्छाजी गाडरी, निवासी उदाखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

7. भीमा पिता वीरभान जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

8. मु. भग्गी बेवा वीरभानजी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

9. हमेरा पिता परथा जी गाडरी, निवासी मुर्डिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
अंतिम डिक्री उपखण्ड अधिकारी,
मावली दिनांक 21.06.2011, प्रकरण
संख्या 90/2004

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कन्हैयालाल चोर्डिया अभिभाषक रेस्पो. सं. 2
3– श्री अनुराग शर्मा अभिभाषक रेस्पो. सं. 3, 7, 9
4– श्री मोहनलाल गाडरी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 6
5– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 10

———::———

निर्णय **दिनांक 25–10–2017**

उपरोक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 90/2004 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरण में पक्षकारान एवं विवादित भूमि समान है। दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विषय वस्तु एक ही होने से दोनों प्रकरणों का समेकित निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रहे।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 10 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाबरिया खेड़ा की आराजी नंबर 173 व 285/171 किता 2 रकबा 56 बीघा 5 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 धूला का 1/3 हिस्सा था, उसमें से प्रतिवादी धूला ने

दिनांक 09–06–1976 को 4 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पिता व प्रतिवादी 4 के पति स्वर्गीय वीरभान तथा प्रतिवादी संख्या 5 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया, जिसके पड़ोस वर्णित हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी धूला ने उक्त आराजी में उसका जो 1/3 हिस्सा था, उसमें से 1/15 हिस्सा रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दी। इस प्रकार विक्रय पश्चात् उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धूला का 11/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 पेमा का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 वीरभान व हमेरा के नाम हिस्सा 3/15 दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 धूला ने दिनांक 21–02–1980 को आराजी नंबर 285/171/4 का 1/5 हिस्सा, आराजी नंबर 285/171/8 कर 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 से 4 को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा दिनांक 26–02–1980 को आराजी नंबर 285/171/4 का 1/2 हिस्सा वादी संख्या को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 धूला ने दिनांक 22–04–1980 को आराजी नंबर 285/171/4 का 1/4 हिस्सा तथा आराजी नंबर 285/171/8 का 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 से 4 को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, किन्तु भूमियां वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुई, जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण का 26 वर्षो से कब्जा है। अतएवं वादीगण को क्रय शुदा उक्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जाये।

उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अतिरिक्त प्रकथन में बताया कि पक्षकारान का हिस्सा निश्चित नहीं किया गया है, जो निश्चित किया जावे।

प्रकरण संख्या अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–04–2015 को निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की :–

1. आया वादीगण वाद वर्णित भूमि आराजी संख्या 285/271/4 व 285/271/8 ग्राम बाबरिया खेडा को वादीगण के खातेदारी की घोषित कराने के स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण

2. आया विकल्प के तौर पर वादीगण कुलिया आराजियात पर गुण अवगुण के आधार पर बंटवाड़ा कराकर उपरोक्त वर्णित दोनों आराजियात बाद बंटवाड़ा वादीगण के हिस्से में रखवाने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण

3. दादरसी ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–12–2015 को पेश शुदा राजीनामें व राजस्व रेकार्ड के आधार पर वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा अपील संख्या 206/2011 इस न्यायालय में दिनांक 11–10–2011 को प्रस्तुत की गयी है, जिसे हम आगे प्रथम अपील कहेंगे।

इसी प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 21–06–2011 को अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 204/2011 इस न्यायालय में दिनांक 11–10–2011 को प्रस्तुत की गयी, जिसे हम आगे द्वितीय अपील कहेंगे।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी नंबर 173/2 व 285/171/1 किता 2 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदार धूला से प्रार्थीगण/अपीलान्टगण ने दिनांक 26–06–1976 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 20–02–2004 भी स्वीकृत हो चुका है व इसका इन्द्राज जमाबन्दी में भी किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने विवादित भूमि के संबंध में खरीदना बताकर घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया व गलत तथ्य बताकर रेस्पोन्डेन्टगण ने आपस में दुरभिसंधि कर राजीनामें से डिक्री प्राप्त कर ली है, जिसमें अपीलान्ट/प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि वक्त वाद दायरी अपीलान्टगण सहखातेदार व आधिपत्यधारी थे। अपीलान्ट हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

अपील के साथ अपीलान्ट ने दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही उन्हें कोई सूचना दी गयी। कथित निर्णय व

डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 03–10–2011 को पटवारी हल्का से हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में पेश शुदा नामान्तरकरण, जमाबन्दी व पटवारी रिपोर्ट जिसमें पटवारी द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना के सन्दर्भ में अपनी रिपोर्ट दिनांक 29–03–2006 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित आराजियात में भमरिया, वेणा, उदा पिता रामा गुर्जर का नाम जमाबन्दी में सहखातेदार के रूप में अंकित है एवं मौके पर कब्जा भी है। इसलिए इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय से मार्गदर्शन चाहा है। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में भी अपीलान्ट का विवादित आराजियात में 11/30 हिस्सा दर्ज है। तद्नुसार पेश शुदा रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थीगण हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतएवं धारा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

इसी प्रकार चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे अतएवं उनके द्वारा प्रकरण की जानकारी नहीं होने का कथन उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के वारिसान की ओर से वकील श्री मोहनलाल गाडरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 7 व 9 की ओर से वकील श्री अनुराग शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल चोर्डिया उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

दौराने कार्यवाही प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 व 6 की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम संस्थित किये गये। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के लिखित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ

न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 ने अपनी लिखित बहस में सिर्फ यह अंकित किया कि अपीलान्ट भवरिया, रेस्पोन्डेन्ट भमरू एवं पेमा की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02–08–2017 को उनके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसका कोई रिवीजन नहीं किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपील में लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि पेश शुदा रेकार्ड अनुसार अपीलान्टगण सहखातेदार हैं तथा घोषणा एवं बंटवाड़े के वाद में किसी भी सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं उक्त दोनों अपीलें 206/2011 एवं 204/2011 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–12–2005 एवं अंतिम डिक्री 21–06–2011 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायलय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित कर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में अजसरेनव निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26–12–2017 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य बनाम **घीसा पिता रामाजी जाट,निवासी राहमी तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**103 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....05**.....माह.....**06**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री पंकज भटनागर** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री सुखलाल मेघवाल**....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–06–2014 अपास्त किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य बनाम **मोती पिता हीराजी जाट,निवासी राहमी, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**104 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....16**.....माह.....**07**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री पंकज भटनागर** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री सुखलाल मेघवाल**....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–07–2012 अपास्त किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।